न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./984/20/अजमेर (2020/00984)

विभागीय अपील द्वारा श्री धर्मदास बी0 परचानी तत्कालीन पटवारी धुवाला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा हाल भू.अ. निरीक्षक ए.पी.आर.टी.एस. टोंक विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा दिनांक 14/21–6–1995 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत लिखित चेतावनी (परिनिन्दा) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री धर्मदास बी0 परचानी तत्कालीन पटवारी धुवाला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा हाल भू.अ. निरीक्षक ए.पी.आर.टी. एस. टोंक विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांकः– 04.02.2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 14/21–6–1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम कारण बताओं नोटिस दिनांक 01–02–1994 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–

1. भू–राजस्व मद की वसूली चालू वित्तीय वर्ष में बकाया मद में 3 प्रतिशत तथा चालू मद में 55 प्रतिशत [illegible] कुल 29 प्रतिशत की गई है जबकि अब तक बकाया 60 प्रतिशत [illegible] चालू [illegible]शत प्रतिशत हो जानी चाहिए थी।
2. दिनांक 13–9–91 से 14–3–93 तक [illegible] सीमाज्ञान के आदेश तहसील द्वारा जारी किये गये लेकिन आपके द्वारा पालना आज तक नहीं की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:49:34 IST
Reason: SelfAttested

3. आपके पटवार मण्डल के दिनांक 8–2–92 से 20–5–93 तक 5 निरीक्षणों की पालना करना शेष है।
4. पासबुके वितरण की जाकर पंजिका का मिलान आज तक नहीं कराया गया जबकि प्रत्येक वर्ष माह अप्रेल में कराना चाहिए था।
5. अतिक्रमणों की रिपोर्ट माह दिसम्बर, 93 में पेश कर देनी चाहिए थी जो आज दिनांक तक नहीं की गई।

अपीलार्थी को 07 दिवस के अन्दर कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत लिखित चेतावनी (परिनिन्दा) के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के उक्त दण्डदेश दिनांक 14/21–6–1995 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी पटवारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोपित बिन्दु संख्या एक के संबंध में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वसूली बकाया 10 प्रतिशत एवं चालू 86 प्रतिशत की जा चुकी थी, बकाया वसूली के संबंध में निवेदन किया कि बाकीदार पटवार मण्डल से बाहर रहते थे जिनकी सूची पूर्व में ही प्रस्तुत की जा चुकी थी।

बिन्दू संख्या 2 के संबंध में अवगत कराया कि अपीलार्थी के जिम्मे दिनांक 13–9–1991 से 18–3–1993 तक 4 सीमाज्ञान शेष बताये गये थे जिनमें से प्रार्थी द्वारा दो की पालना कर दी गई थी तथा दो में फसल खड़ी होने की वजह से तत्समय सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। उक्त पटवार मण्डल पर प्रार्थी का पदस्थापन दिनांक 12–8–1992 को हु[illegible] जबकि बकाया कार्यो की गिनती उससे लगभग 1 वर्ष पूर्व से आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:49:34 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दू संख्या 3 के संबंध में अवगत कराया कि निरीक्षण की पालना में 04 निरीक्षण की पालना दिनांक 15–12–93 को पेश कर दी गई थी एवं शेष की पालना जल्दी ही कर दी जावेगी।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उन्होंने यह भी कथन किया कि बिन्दू संख्या 4 के संबंध में अवगत कराया कि पासबुके वितरित की जा चुकी है जिनका रजिस्टर से मिलान मीटिंग होने के कारण नहीं हो सका जो जल्दी ही करवा दिया जावेगा।

बिन्दू संख्या 5 के संबंध में अवगत कराया गया कि अधिकांश अतिक्रमणों की रिपोर्ट दिनांक 27–01–94 को पेश की जा चुकी है परन्तु शेष रहे कतिपय अतिक्रमणों की रिपोर्ट बिलानाम, गिरदावरी चालू होने से नहीं की जा सकी है। अब समय पर किये जाने का निवेदन किया गया।

उन्होंने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी ने अपीलार्थी को कभी भी व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया एवं तहसीलदार के अर्द्धशासकीय पत्र के आधार पर एक ही आदेश से लिखित चेतावनी व (परिनिन्दा) का दण्ड दे दिया गया जबकि यह दोनों अलग–अलग रूप से परिभाषित है। इस प्रकार दिया गया दण्डादेश विखण्डनीय है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि सीसीए नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही के प्रस्ताव की लिखित सूचना देकर अभ्यावेदन व व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रावधान है लेकिन उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रक्रिया का भी अनुसरण नहीं किया गया जो नियम विरूद्ध एवं दोषपूर्ण है। सीसीए नियम 1958 के नियम 14 के अनुसार 'चेतावनी' अपने आप में कोई दण्ड नहीं है इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है जबकि परिनिन्दा प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में दण्ड माना जाता है जिसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार एक ही निर्णय में दो विभिन्न अर्थ वाले दण्ड नियम विरूद्ध होने से उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय दोषपूर्ण एवं नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 14/21–6–1995 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलार्थी पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया। इस बारे में प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी ने सदैव ही राजकीय कार्यो को पूर्ण निष्ठा, लगन [illegible] एवं ईमानदारी से अंजाम दिया है। प्रार्थी का शासकीय जीवन पूर्णतः धवल एवं पवित्र है। राज–काज में प्रार्थी ने कहीं भी कोई कोताही नहीं की है। यहां तक कि प्रार्थी को अच्छा कार्यकर्ता होने के फलस्वरूप विभिन्न जिला कलक्टरों ने प्रमाण–पत्र से नवाजा है। उपखण्ड अधिकारी ने मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट जो पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:49:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रश्नगत सजा देने का निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से मन्सूख किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 14/21–6–1995 की प्रति अपचारी कर्मचारी को कभी नहीं दी गई। अन्यथा तत्समय ही अपीलार्थी द्वारा अपील कर दी जाती। नियमानुसार किसी कार्मिक के विरूद्ध किये गये निर्णय की प्रति संबंधित कार्मिक के साथ–साथ जिला कलक्टर एवं संभागीय आयुक्त को दी जानी चाहिए थी जबकि इस प्रकरण में किसी को भी नहीं दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिस पर उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 667 दिनांक 26–11–2019 से अपीलार्थी की मूल अपील के 16 बिन्दुओं में से 11 बिन्दु स्वीकार तथा शेष 5 बिन्दु अस्वीकार किये गये है। उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध नियम 17 सीसीए के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। अपीलार्थी का कथन कि दण्डादेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो गलत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी पटवारी को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने अपीलार्थी द्वारा प्रेषित मूल अपील पर जवाब प्रस्तुत किया जिसमें 16 बिन्दुओं में से 11 बिन्दु स्वीकार किये तथा शेष 5 बिन्दु अस्वीकार किये गये । जब मुख्य बिन्दु ही स्वीकार कर लिये गये तो शेष 5 बिन्दु भी स्वतः ही प्रभावहीन हो जाते है। अपीलार्थी के जिम्मे दिनांक 13–9–1991 से 18–3–1993 तक [illegible] सीमाज्ञान शेष बताये गये थे जिनमें से प्रार्थी द्वारा दो की पालना कर दी [illegible] थी [illegible] हो में फसल खड़ी होने की वजह से तत्समय सीमाज्ञान नहीं किया जा [illegible]। उक्त पटवार मण्डल पर प्रार्थी का पदस्थापन दिनांक 12–8–1992 को हुआ था, जबकि बकाया कार्यो की गिनती उससे लगभग 1 वर्ष पूर्व से की गई है। अपीलार्थी पर आयत आरोपों में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:49:34 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा अधिकांश कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा चुका था। उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के आदेश में यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी के कार्यकाल के दौरान किस–किस मद में कितना कार्य शेष था। अपीलार्थी को अनावश्यक आरोपों से आरोपित कर 17 सीसीए के तहत कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 14/21–6–1995 की प्रति अपचारी कर्मचारी को कभी नहीं दी गई। अन्यथा तत्समय ही अपीलार्थी द्वारा अपील कर दी जाती। नियमानुसार किसी कार्मिक के विरूद्ध किये गये निर्णय की प्रति संबंधित कार्मिक के साथ–साथ जिला कलक्टर एवं संभागीय आयुक्त को दिये जाने का प्रावधान है जो कि इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित दण्डादेश के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस दण्डादेश की प्रति किसी को भी पृष्ठांकित नहीं की गई है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान विधिसम्मत प्रक्रिया नहीं अपनायी गई। अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही करने के दौरान कोई नोटशीट संधारित नहीं की गई। उपखण्ड अधिकारी द्वारा कहीं भी लिखित चेतावनी (परिनिन्दा) का अंकन नोटशीट पर नहीं किया गया। अपीलार्थी को कोई व्ययक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका दिया गया तथा न ही कोई आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र जारी किये गये। मात्र सम्पूर्ण पत्राचार अर्द्धशासकीय पत्र के आधार पर ही समस्त कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियमों के अनुरूप भी नहीं है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा ने दण्डादेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिये था जो अपीलार्थी के कथनानुसार नहीं किया गया तथा न ही अपीलार्थी पर लगाये गये आरोपों की जांच करने हेतु जांच अधिकारी ही नियुक्त किया जिससे आरोपों की सत्यता सिद्ध हो सके। अपीलार्थी के कथनों की पुष्टि इस बात से भी होती है कि उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने पत्रावली पर भी इस बाबत कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि [illegible] विधि परामर्शी ने कार्यालय टिप्पणी पर दिनांक 15–7–2019 को [illegible] किया है कि उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा अपीलार्थी के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 14–6–1995 (21–6–1995) में कोष्ठक में अंकित परिनिन्दा शब्द चेतावनी का न तो प्र्यायवाची है और न ही समानार्थी है। सामान्यतः कोष्ठक में किसी शब्द विशेष का अर्थ स्पष्ट करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:49:34 IST
Reason: SelfAttested

लिए या तो उसका समानार्थी/पर्यायवाची शब्द अंकित किया जाता है अथवा उसका अंग्रेजी अनुवाद कर अंकित कर उस शब्द को स्पष्ट किया जाता है जबकि चेतावनी शब्द स्वतः स्पष्ट है। नियम 14 के अनुसार चेतावनी अपने आप में कोई दण्ड नहीं है लिहाजा इसका कोई प्रभाव भी नहीं है। यद्यपि वार्षिक कार्य मूल्यांकन में चेतावनी का अंकन किये जाने पर इसे प्रतिकूल प्रविष्ठि के रूप में माना जावेगा और जो पदोन्नती के समय विचारण में लिया जावेगा। उक्त प्रकरण में अनुशासनिक अधिकारी के आदेश में लिखित चेतावनी शब्द अंकित है और कोष्ठक में परिनिन्दा हस्तलेख में लिखा गया है जो चेतावनी शब्द का समानार्थी नहीं है। इस आदेश के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अनुशासनिक अधिकारी का आशय कार्मिक को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित करने का नहीं रहा है। अनुशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश में परिनिन्दा का दण्ड दिये जाने की कोई मंशा स्पष्ट नहीं है। उपविधि परामर्शी की उक्त टिप्पणी विधिसम्मत होने से इस पर सहमति व्यक्त की जाती है।

उपरोक्त विवेचन व विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी पर आरोप प्रमाणित नहीं होने के बावजूद उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार व नजरअन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 14/21–6–1995 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 14/21–6–1995 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:49:34 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 वीना प्रधान),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर